

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक:-प.17(20)नविवि/नियम/2019

जयपुर, दिनांक:

आदेश

राजस्थान अपार्टमेन्ट एक्ट-2015 में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में विस्तृत चर्चा करने, चर्चा उपरान्त प्रस्तावित एक्ट आदि से तुलनात्मक अध्ययन करने तथा संशोधन प्रस्तावित कर, नया प्रारूप तैयार करने हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया है:-

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. डा0 प्रिया बलराम शर्मा, अति0 आयुक्त, जविप्रा | - | सदस्य |
| 2. श्री विनय दलेला, निदेशक (आयोजना), जविप्रा | - | सदस्य |
| 3. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नविवि | - | सदस्य |
| 4. श्री राजेश तुलारा, अति0 मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम) | - | सदस्य |
| 5. शासन उप सचिव-प्रथम, नविवि | - | सदस्य सचिव |

“कमेटी द्वारा प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 13.12.2024 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।”

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. शासन उप सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री विनय दलेला, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नविवि।
7. श्री राजेश तुलारा, अति. मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), नगर नियोजन विभाग।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

शासन उप सचिव-प्रथम

Document certified by RAVI VIJAY
<ravijay26@gmail.com>
Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy
Secretary To Government
Date :26-11-2024 01:20:46